# समलैंगिक विवाह : भारत में कितना उचित ?

**डॉ० श्रीमती अखिलेश**
*असिस्टेंट प्रोफेसर*
*समाजशास्त्र विभाग*
*जी०एस०एच०पी०जी० कॉलेज, चांदपुर, बिजनौर*
*ईमेलः akhileshchauhan6699@gmail.com*

***सारांश***

*मानवीय पहलुओं की प्रतिच्छाया में पश्चिमी सभ्यता के पोशकों द्वारा भारत में 'समलैंगिक विवाह' को कानूनी मान्यता दिलाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समूह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर कर रखी है जिसकी सुनवाई 'सीजीए' की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय जजों की टीम कर रही है। केन्द्र सरकार ने इसके विपक्ष में अपना हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाता है? यदि फैसला समलैंगिक विवाह के पक्ष में आता है तो क्या भारतीय जनमानस इसे स्वीकार करेगा? परम्परागत विवाह व्यवस्था एवं परिवार संस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निष्चित है। अध्येत्री का भी मानना है कि भारतीय जनमानस इसे सहज स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा, दूसरे समाज में इससे प्रदूषण बढ़ेगा और साथ ही कई गम्भीर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं विधिक समस्याएं विकसित हो जायेंगी। इन्हीं प्रश्नों एवं विषयक समस्या पर अभिमत जानने के लिए अध्येत्री ने स्थानीय उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों (केस स्टडी स्वरूप) के विचारों को संग्रहित कर उनका गणनात्मक व गुणात्मक विवेचन किया है। साथ ही उक्त विषयक पर सूचना के द्वैतीयक स्त्रोतों से संग्रहित सामग्री समग्र का निदर्शित इकाई प्रत्युत्तरों से समन्वित कर सामान्य निष्कर्ष प्राप्त किये हैं।*

***मुख्य बिन्दु***

*समलैंगिकता, (Homosexuality) एलजीबीटीक्यू, (LGBTQ), समूह, गे, उभयलिंगी (Bio-sexual), लिंग परिवर्तन, सामाजिक प्रदूषण, संरचनात्मक प्रारूप, पारिवारिक स्वरूप, सामाजिक संरचना विकृति, नवीन सामाजिक वर्ग, दिशाहीन निर्णय।*

Reference to this paper should be made as follows:

**Received: 29.05.2023**
**Approved: 20.09.2023**

**डॉ० श्रीमती अखिलेश**

*समलैंगिक विवाह : भारत में कितना उचित ?*

*RJPP Apr.23-Sep.23,*
*Vol. XXI, No. II,*

*PP. 201-208*
*Article No. 28*

***Online available at:***
*https://anubooks.com/journal/rjpp*

**प्रस्तावना**

समलैंगिकता (Homosexuality) पर उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट है कि इसका अस्तित्व प्राचीनकाल से रहा है, किन्तु सन् 1989 में डेनमार्क ने समलैंगिक विवाह (Homosexuality Marriage) को कानूनी व सामाजिक मान्यता प्रदान की। तत्पश्चात विश्व के 33 अन्य देशों– क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, कोस्टारिका, स्विट्जरलैण्ड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इक्वेडोर, ताइवान, ब्रिटेन, बेल्जियम, फिनलैण्ड, फ्रांस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, जर्मनी, लक्समबर्ग, माल्टा, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, कोलम्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेन्टीना, कनाडा, नीदरलैण्ड, उरग्वे और न्यूजीलैण्ड ने 'समलैंगिक विवाह' को मान्यता दे दी है। उक्त देशों में से 23 देशों की सरकारों ने इसके पक्ष में कानून बनाकर वैधता प्रदान की, जबकि 10 देशों ने अदालत के आदेश से इसे वैध माना है। ये सभी देश खुले यौन सम्बन्धों (Open Sex) के पोषक भी रहे हैं।

विश्व के अन्य देशों जैसे– मलेशिया में समलैंगिकता अवैध है। सिंगापुर में 'गे–सेक्स' को समाप्त किया जा चुका है। जापान सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी है जबकि यहां की जनता इसका समर्थन करती है। अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सोमालिया, उत्तरी नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर और मॉरिटोनिया में इसके विरुद्ध सजा का प्रावधान है। भारत में भी 2018 से पूर्व 'समलैंगिक सम्बन्ध' को अपराध माना जाता था किन्तु 2018 में नवतेज सिंह राठौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दो वयस्क एकान्त में आपसी सहमति से 'यौन सम्बन्ध' बनाते हैं तो इसे अपराध ा नहीं माना जायेगा लेकिन बच्चों एवं पशुओं के साथ ऐसा सम्बन्ध अपराध की श्रेणी में रहेगा। तभी से एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समूह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग उठा रहा है। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

विशयक दृष्टि से एलजीबीटीक्यू समूह (LGBTQ) समूह कौन है? समलैंगिकता क्या है? को स्पष्ट करना आवश्यक है–

L = Lasbian (लेस्बियन) समलिंगी महिला (महिला का महिला के प्रति यौन आकर्षण)।

G = Gay (गे) समलिंगी पुरुष (पुरुष का पुरुष के प्रति यौन आकर्षण।

B = Bi-Sexual (उभयलिंगी) समान एवं विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण।

T = Transgender (ट्रांसजेण्डर) प्राकृतिक लिंग के विपरीत स्वयं को विपरीत लिंग में परिवर्तित कराना।

Q = Quer (क्वीर) ऐसे लोग अपने यौन आकर्षण के प्रति विश्वस्त नहीं होते।

**समलैंगिकता**

सामान्य रूप से समलैंगिकता प्रकृतिवश या प्रेमवश समान लिंग के व्यक्तियों के मध्य यौन आकर्षण है। समलैंगिक विवाह का मुद्दा इसी प्रकार के सम्बन्धों को कानूनी मान्यता दिये जाने का एक प्रयास है।

समलैंगिक विवाह के प्रति विरोधात्मक विचार रखने वाले विद्वतजनों की तरह अध्येत्री का भी यह मानना है कि भारतीय समाज इसे सहज स्वीकार नहीं करेगा, इससे पारम्परिक विवाह संस्कृति

एवं परम्पराएं प्रभावित होंगी, और अनेक गम्भीर सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जायेंगी। इन्हीं प्रश्नों का तथ्यात्मक पुष्टिकरण करने के लिए अध्येत्री ने द्वैतीयक एवं प्राथमिक तथ्यों के संग्रहित स्वरूप का विष्लेशणात्मक विवेचन कर निर्भर योग्य निष्कर्श निकालने का प्रयास किया है। अग्रिम विवरण इसी संदर्भ में है–

**अध्ययन का उद्देश्यः–** प्रस्तुत लेख का प्रमुख उद्देश्य समलैंगिक विवाह विषय पर जनसामान्य के विचारों को समाज एवं नीति निर्धारकों के समक्ष रखना है जिससे वे इस समस्या को ठीक प्रकार से समझ कर निर्णय ले सकें।

**शोध समस्याः–** क्या सनातनी संस्कृति प्रधान परम्परागत भारत में 'समलैंगिक विवाह' को कानूनी मान्यता देना न्यायोचित है? क्या भारतीय समाज इसे सहज स्वीकार कर लेगा?

**उपकल्पना**

1. परम्परागत प्रधान भारतीय समाज 'समलैंगिक विवाह' की कानूनी मान्यता को सहज स्वीकार नहीं करेगा और सामाजिक संरचना में विकृति विकसित होगी।
2. इससे सामाजिक प्रदूषण बढ़ेगा, जनसंख्या संतति प्रभावित होगी, साथ ही संतान अधिकारिता एवं संतान वैधता की समस्या विकसित होगी।

**अध्ययन इकाई समग्र**

विषयक समस्या पर अभिमत जानने के लिए स्थानीय उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को (केस स्टडी) इकाई स्वरूप चयनित किया है। इनमें 25 पुरुष एवं 11 महिला शिक्षक हैं, जिसमें 27 हिन्दू व 9 मुस्लिम समुदाय से हैं। सभी अध्ययन इकाईयों पीएच0डी0 व नैट परीक्षा धारक हैं। अध्ययन इकाइयों की आयु 35 से 58 वर्ष के बीच है। अध्येत्री भी इनमें से एक है।

साथ ही द्वैतीयक स्त्रोतों में संदर्भित विषय पर प्रकाशित वैचारिक सामग्री का उपयोग विषय विश्लेषण में किया है।

**शोध विधि**

संदर्भित विषय पर वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्त्रोतों से संकलित सामग्री का सांख्यिकीय विधि से विश्लेषण कर समन्वयात्मक निष्कर्श प्राप्त किये हैं।

**उपलब्धियां**

संदर्भ विषय पर संकलित सामग्री का विश्लेषण करने पर (1) सकारात्मक एवं (2) नकारात्मक पक्ष प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार हैं–

**(1) सकारात्मक पक्ष**

इसमें उन व्यक्तियों के विचार शामिल किये हैं जो समलैंगिक विवाह को सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के चश्मे से देखते हैं तथा इसे कानूनन जामा पहना चाहते हैं, इनका तर्क है कि–

- इससे सामान्य व्यक्ति की जिन्दगी बर्बाद होने से बच सकती है। जैसे एक किन्नर की शादी किन्नर से होती है तो ठीक है किन्तु जानकारी के अभाव में किसी सामान्य व्यक्ति से हो जाय तो पारस्परिक एवं पारिवारिक समायोजन मुश्किल हो जाता है।

- ❖ विज्ञान, कानून, चिकित्सा और धर्म–अध्यात्म की दृष्टि से समलैंगिकता कोई अपराध एवं अनैतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार एवं सामाजिक समानता को पोषित करती नजर आती है। इसी आधार पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के एक भाग में संशोधन के रूप में 'समलैंगिकता' को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का आदेश दिया और इसी आधार पर समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता दिये जाने की मांग की जा रही है।
- ❖ समलैंगिक सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति की कोई विशेष शारीरिक पहचान भी नहीं होती जिसके आधार पर उसे वाह्य तौर पर आसानी से पहचाना जा सके। यह केवल हार्मोनल गड़बड़ी के कारण होता है जिसके कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता। इसलिए वाह्य तौर पर यह अत्यंत ही अस्पष्ट पहलू है जिसकी पहचान शीघ्रता से नहीं हो पाती और सम्बन्धित व्यक्ति ही व्यक्ति के लिए समस्या बन जाता है।
- ❖ प्रसिद्ध मानवशास्त्री मार्गरेट के अनुसार आदिम समाजों में समलैंगिकता का प्रचलन देखा जाता है।
- ❖ चोरी छिपे सभ्य समाज में भी यह प्रवृत्ति भीतरी तौर पर निरंतरता बनाये हुए है। ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में आये दिन छपती रहती हैं।
- ❖ भारत में सुप्रियो चक्रवर्ती (प0बंगाल) व अभय कोल (दिल्ली), मालती और रूबिना दोनों (कोलकाता), तथा फिरोज मल्होत्रा व उदय राज, दतीचंद व मोनालिसा तथा राजस्थान की कल्पना व मीरा (आरव) लिंग परिवर्तित कर समलैंगिक विवाह के उदाहरण हैं।
- ❖ ऋग्वेद की ऋचा में कहा गया है– ''विकृतिः एवं प्रकृति' अर्थात् जो अप्राकृतिक दिखता है वह भी प्राकृतिक ही है। अतः 'समलैंगिकता' विकृति भी प्राकृतिक ही कही जायेगी, फिर सामाजिक एवं कानूनी मान्यता क्यों नहीं?
- ❖ समलैंगिकता सिर्फ यौन सम्बन्धों से जुड़ा विषय नहीं है, अपितु यह आत्मा, भावनाओं, मूल्यों, मानवाधिकार, सामाजिक समानता एवं प्रेम से भी जुड़ा है। समलैंगिक भी सामान्य व्यक्ति जैसा भाव और स्वभाव रखता है। अतः यह उचित है।
- ❖ प्राचीन भारत समलैंगिकता के प्रति सहिष्णु रहा है। रामायण, महाभारत से लेकर विशाख दत्त के मुद्राराक्षस एवं वात्स्यायन के कामसूत्र में भी समलैंगिक रिश्तों का उल्लेख मिलता है।
- ❖ जहाँ तक संतानोत्पत्ति का प्रश्न है तो समलैंगिक जोड़े, सन्तानोत्पत्ति के अभाव में देश के अनाथ हुए बच्चों को गोद ले सकते हैं जिससे अनाथ बच्चों की समस्या का समाधान हो सकता है उन बच्चों का भी फायदा होगा जिनके पास माँ–बाप और रहने के लिए घर नहीं है। इससे निराश्रित बच्चों की सामाजिक समस्या का समाधान होगा। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से लाभ ही होगा।

**(2) नकारात्मक पक्ष**

'समलैंगिकता' समाजोहित में नहीं है क्योंकिः–

- प्रकृति ने सृष्टि–सष्जन हेतु स्त्री और पुरुष को पैदा किया है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। संसार के सभी जीव इसी व्यवस्था में अपनी सृष्टि–सृजन को आगे बढ़ाते हैं। अतः 'समलैंगिकता' और इससे सम्बद्ध अन्य पहलू प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं।
- स्त्री–पुरुष के मेल–मिलाप अर्थात् विवाह को एक 'धार्मिक संस्कार' माना गया है जबकि समलैंगिकता के लिए किसी प्रकार का 'आचरण संहिता' भारतीय समाज में नहीं है, फिर समाज इसे कैसे स्वीकार करेगा?
- प्रोफेसर **संघमित्रा शील आचार्य** का मानना है कि इससे 'सामाजिक ढांचे' पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। भारतीय समाज की अपनी धारणाएं व मान्यताएं हैं चाहे व विज्ञान की कसौटी पर सही उतरी हैं या नहीं, किन्तु व्यवहार में आज तक बनी हुई हैं। समलैंगिक विवाह कानून बनने के बाद इनका क्या होगा? विचारणीय है।
- **स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी** ने इसे मानवता के लिए कलंक माना है। साथ ही कहा इस मुद्दे पर कानून नहीं बनना चाहिए। यह किसी भी प्रकार से समाज–हित में नहीं है।
- जानकारों का मानना है कि समलैंगिक–विवाह परम्परागत भारतीय विवाह व्यवस्था में निहित व्यवस्था एवं मूल्यों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
- देखने में आया है कि समलैंगिक जोड़ों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अधिक अच्छा नहीं होगा। फलतः यह एक अलग सामाजिक समूह के रूप में जाना जायेगा। इससे सामाजिक सम्बन्धों एवं नातेदारी समूहों के संदर्भ में प्रचलित परिभाषाएं एवं मान्यताएं प्रभावित होंगी। क्या भारतीय समाज इनको बदल पायेगा?
- केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में 'समलैंगिक विवाह' को सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विवाह के सम्बन्ध में मौजूद विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल माना है। सरकार ने यह भी कहा कि परिवार की परिकल्पना पति–पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों से है अतः इससे मान्यता भी प्रभावित होगी।
- **प्रोफेसर आनन्द कुमार** का कहना है कि 'समलैंगिकता' कोई रहस्य नहीं है, समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे सम्बन्धों को जीता है। अब यह कानून तौर भी मान्य हो गया है, किन्तु यह भी सत्य है कि समाज में ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता। इसलिए 'समलैंगिक विवाह' एक बड़ा बदलाव लायेगा, जिसे समाज सहजता से स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह है।
- केस स्टडी रूप में चयनित अध्ययन इकाईयों में से 34 शिक्षकों ने 'समलैंगिक विवाह' एवं 'समलैंगिकता' के विरोध में अपना मत दिया शेष 2 शिक्षकों ने उक्त विषयक पर आंशिक सहमति प्रकट की। अध्ययन समस्या के विरोध में मत प्रकट करने वाले शिक्षकों का मानना था कि इससे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं विधिक समस्याएं पैदा हो जायेगी इसलिए इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इकाइयों के विरोधात्मक अभिमतों को अग्रिम सारणी में अवलोकित किया जा सकता है–

**सारणी***

**अध्ययन इकाईयों द्वारा विरोधात्मक अभिमतों का स्वरूप**

| कानूनी मान्यता के पश्चात समाज में विकसित होने वाली समस्याएं/विकृतियां | अभिमत प्रदाता | कुल का % |
|---|---|---|
| • परम्परागत विवाह संस्था व्यवस्था प्रभावित होगी। | 34 | 100.00 |
| • संतानों की वैधता/मान्यता की समस्या उत्पन्न होगी। | 33 | 97.06 |
| • समलैंगिक विवाहित जोड़ों को उचित सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा। | 32 | 94.12 |
| • सामाजिक सम्बन्ध एवं सामाजिक समायोजन की समस्या उत्पन्न होगी। | 32 | 94.12 |
| • परम्परागत एवं सनातनी मान्यता पोषक भारतीय जनमानस समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता से उत्पन्न सामाजिक परिवेश को स्वीकार नहीं करेगा। | 34 | 100.00 |
| • राजनीतिक संस्था में समलैंगिक विवाहित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तरह 'सम्मान' नहीं मिल पायेगा। | 30 | 88.24 |
| • समाज में एक नये सामाजिक वर्ग का प्रादुर्भाव होगा। | 32 | 94.12 |
| • इससे समलैंगिक अपराधों में और वृद्धि संभव है। | 33 | 97.06 |
| • समाज में मानवीय व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा। | 33 | 97.06 |
| • हिन्दू विवाह अधिनियम व विशेष विवाह अधिनियमों में कानूनी बदलाव लाने होंगे, जिनका विरोध संभव है। | 32 | 94.12 |
| • कार्यदायी संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों द्वारा कार्य करना काफी कठिन होगा। | 32 | 94.12 |
| • सामाजिक संरचना व पारिवारिक संरचना का आधार स्वरूप बदल जायेगी। | 33 | 97.06 |
| • मानवता के लिए कलंक स्वरूप साबित होगा। | 33 | 97.06 |
| **योग** | **34** | **100.00** |

*बहुविकल्पीय अभिमत सारणी।

*स्त्रोत– अध्येत्री सर्वेक्षण

उक्त सारणी में अध्ययन समस्या पर अध्ययन इकाइयों द्वारा प्रकट विरोधात्मक अभिमत इसका तथ्यात्मक प्रमाण है कि भारत जैसे परम्परात्मक एवं आध्यात्मिक प्रधान देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। यह समाज के लिए एक अभिशाप की तरह सिद्ध होगा। न्यायिक संस्था को भी पश्चिमी देशों को अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने कानूनी पक्ष को गौण ही रखना श्रेयकर रहेगा।

**निष्कर्षः**

'समलैंगिक विवाह' से सम्बन्धित वाद में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये हलफनामे एवं संदर्भित विषय पर सामाजिक विचारकों तथा चयनित अध्ययन इकाइयों के अभिमतों से यही निष्कर्श निकलता है कि 'समलैंगिक विवाह' को कानूनी मान्यता देना समाज हित में नहीं होगा।

**विशेष नोटः–** शोध पत्र लिखे जाने तक संदर्भित विशय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था।

**संदर्भ**

1. (2023). केन्द्र सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत 'शपथ–पत्र'– ''भारतीय परम्पराओं के खिलाफ समलैंगिक शादी सही नहीं'', ''हिन्दुस्तान– दैनिक समाचार–पत्र, मेरठ प्रकाशन, दिनांक 13.03. पृष्ठ **01.**
2. कुमार, आनन्द. (2023). ''एक अलग तरीके के विवाह की मांग'', दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, मेरठ प्रकाशन, दिनांक 16.03. पृष्ठ **06.**
3. संघमित्राशील, आचार्य. (2023). ''ऐसी शादियों को आसानी से समझ न सकेगा समाज'', दैनिक समाचार–पत्र, हिन्दुस्तान, मेरठ प्रकाशन, दिनांक 22.04. पृष्ठ **06.**
4. चक्रवर्ती, श्वेता. (2023). हमें स्वीकार करना चाहिए यह रिश्ता, ''समलैंगिक शादी (अनुलोम–विलोम), हिन्दुस्तान दैनिक समाचार–पत्र, मेरठ, दिनांक 22.04.
5. चौहान, शुभांषु सिंह. (2023). अदालत करें उचित फैसला (समाज ऐसे विवाह को नहीं मानेगा), ''हिन्दुस्तान– दैनिक समाचार–पत्र, मेरठ, दिनांक 24.04.
6. दैनिक जागरण. समाचार–पत्र. मेरठ. प्रकाशन. पृष्ठ **10.**
7. Abplive.com, www.abplive.com.
8. Amarujala.com, www.amarujala.com.
9. Hindustan.com, www.livehindustan.com.
10. https://www.aajtak.in> story.